उ0प्र0 विधान परिषद के तृतीय सत्र 2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-3 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-चिलौली, ब्लाक-काकोरी, जनपद-लखनऊ की दलित बस्ती में विद्युत पोल लगाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12 अगस्त, 2024 आपको सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
(ख) यदि हॉं, तो क्या उक्त स्थान पर विद्युत पोल लगवा दिया गया है?	जनपद-लखनऊ के ब्लाक-काकोरी के अन्तर्गत ग्राम चिलौली पूर्णतः विद्युतीकृत है एवं विद्युत संयोजन के इच्छुक सभी घरों में विद्युत संयोजन भी हैं। प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित शिकायतकर्ता श्री राजू पुत्र मुन्नु (संयोजन एकांउट आई0डी0 4974599000) का संयोजन वर्ष 2015 से गली के आखिरी पोल से सर्विस केबिल के माध्यम से सुचारू रूप से चल रहा है। कालान्तर में मकानों के निर्माण हो जाने के कारण वर्तमान में सर्विस केबल मकानों के उपर से जा रही है जिसके कारण श्री राजू लाइन की शिफ्टिंग कराना चाह रहे है। उक्त मकान एक सकरी गली के आखिरी छोर पर स्थित जिसमें कई मोड़ है तथा कई मकानों के छज्जे निकले हुए है। श्री राजू पुत्र मुन्नु के संयोजन की लाइन को सड़क मार्ग से ले जाने के कार्य के लिये 50 मीटर लम्बी एल0टी0 लाइन बनाने हेतु श्री राजू को रू० 33,439/- का मांग पत्र खण्ड के कार्यालय पत्रांक-10217 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा प्रेषित किया गया है। प्राक्कलन की धनराशि जमा होने एवं पोल लगाये जाने के कार्य में किसी भी प्रकार का विवाद न होने की स्थिति में कार्य कराया जाना सम्भव है।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उक्त कार्य को पूर्ण करायेंगे?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार।

ए0 के0 शर्मा
ऊर्जा मंत्री।